रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 359] नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 17, 1978/अग्रहायण 26, 1900

No. 359] NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 17, 1978/AGRAHAYANA 26, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1978

सा. का. नि. 579(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, संघ लोक सेवा आयोग तथा केरल सरकार से परामर्श करने के बाद भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) सातवां संशोधन विनियम, 1978 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की अनुसूची में "केरल" से संबंधित प्रविष्टियों के कालम 3 में, "सरकार के अपर मुख्य सचिव" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सरकार के वरिष्ठतम विशेष सचिव"

[संख्या 11039/10/78-अ. भा. से.(I)]

हरी मोहन माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and A. R.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 1978

G.S.R. 579(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, after consultation with the Union Public Service Commission and the Government of Kerala hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Seventh Amendment Regulations, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, in the entries relating to "Kerala", in Column 3, for the entry "Additional Chief Secretary to Government", the following entry shall be substituted, namely :—

"Senior-most Special Secretary to Government"

[No. 11039/10/78-AIS(I)]

HARI MOHAN MATHUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978

रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 360] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 18, 1978/अग्रहायण 27, 1900
No. 360] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 18, 1978/AGRAHAYANA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

निर्माण और आवास मंत्रालय

(नगर भूमि अधिकतम सीमा एकक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1978

सा. का. नि. 580(अ).—नगर भूमि (अधिकतम सीमा व विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) के साथ पठित उपखण्ड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) नियम, 1976 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत :—

1. (1) इन नियमों को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) सातवां संशोधन नियम, 1978 कहा जाए ।

(2) ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 11 में जहां कहीं भी "एक हजार उन्चास दिन" शब्द आएं उनके स्थान पर "एक हजार एक सौ उनतालीस दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।

[सं. 12/99/78-यू. सी. यू.]

मीर नसरुल्लाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Urban Land Ceiling Unit)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 1978

G.S.R. 580(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) of sub-section (2) of section 46 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Urban Land (Ceiling and Regulation) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Urban Land (Ceiling and Regulation) Seventh Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 11, for the words "one thousand and forty-nine days" wherever they occur, the words "one thousand one hundred and thirtynine days" shall be substituted.

[No. 12/99/78-UCU]

MIR NASRULLAH, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978